तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज सोहनलाल पंवार बनाम लो.सू.अ. (उपखण्ड अधिकारी लूणी) सू.अ.अ. अपील संख्या 129/2020	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.09.20	अपीलार्थी सोहनलाल पंवार, पता गांव धींगाणा, पोस्ट गुड़ा बिश्नोईयान, तहसील लूणी व जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 11.06.20 में उसके द्वारा (1) उपखण्ड क्षेत्र लूणी के सरकारी कार्मिकों की सूची उपलब्ध करावे जो कि खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ उठा रहे है व अन्य बिन्दु, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी लूणी) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी लूणी) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लो.सू.अ..(उपखण्ड अधिकारी लूणी) से आदिनांक तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी लूणी [illegible] निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही [illegible] प्रार्थी को 15 दिवस में उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना [illegible] कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Anoop Singh Inda
Date: 2020.10.13 18:07:41 IST
Reason: SelfAttested